a programme of research on student problems to evolve ways and means of improving student discipline.

A Committee on Student Unrest has also just been constituted by the Central Advisory Board of Education to study the problem in depth and to suggest remedial measures.

A. R. C. RECOMMENDATIONS ON SCIENTIFIC DEPARTMENTS

*41. SHRI R. P. KHAITAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state the nature of the main recommendations made by the Administrative Reforms Commission on Scientific Departments and the action, if any, taken by Government on those recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : A summary of recommendations contained in the report of the Administrative Reforms Commission on Scientific Departments is laid on the Table of the House. [*See Appendix* LXXIII, Annexure No. 3]. The recommendations are under examination.

प्राकृतिक प्रकोपों से सम्बन्धित केन्द्रीय संस्था

*42. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री राजनारायण :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री पीताम्बर दास :
डा० भाई महावीर :
श्री रतन लाल जैन :
श्री मान सिंह वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†[CENTRAL BODY FOR NATURAL CALAMITIES

*42. SHRI J. P. YADAV :
SHRI RAJNARAIN :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI PITAMBER DAS :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI RATTAN LAL JAIN :
SHRI MAN SINGH VARMA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up a Central body to deal with the problems arising out of natural calamities; and

(b) if so, what are the details thereof?]

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) राहत तथा पुनर्वास का कार्यकारी उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्यों का है । केन्द्रीय सरकार का कार्य सलाह देना तथा ऐसी राहत सेवाओं तथा आपूर्तियों को संगठित करना है, जिनका प्रबन्ध केवल भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है । इसके लिए गृह, खाद्य तथा कृषि, वित्त सिंचाई तथा बिजली, रेल, समाज कल्याण, परिवहन, संचार मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग से विशेषज्ञों को लेकर एक समिति गठन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक भी इस समिति के सदस्य होंगे ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय ने भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वेधशालाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विपत्ति प्रशमन समिति का गठन किया है । यह समिति इस बात की जांच करेगी कि तूफानों से उत्पन्न

†[ ] English translation.